



पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)
कोनी-बिरकोना मार्ग , बिलासपुर (छ.ग.) 495009

दूरभाष क्रमांक : (07752) 240702, 240712, 240752
www.pssou.ac.in Email – registrar@pssou.ac.in

MINUTES OF ALL ACADEMIC COUNCIL OF THE UNIVERSITY

MINUTES OF ACADEMIC COUNCIL

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Dr. Prakriti James
Incharge NAAC Criteria-VI
PSSOU, CG Bilaspur



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष : (07752) 210312, 213072 फ़ैक्स 424329, 213073

www.pssou.ac.in, E-mail – registrar@pssou.ac.in

क्रं. 6289(5) प्रशा./वि.प./बैठक/17

बिलासपुर, दिनांक 11/05/2017

पंजीकृत डाक

प्रति,


1. डॉ. अनिता सिंह
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
2. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
3. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
4. डॉ. (श्रीमती) प्रीतिरानी मिश्रा
सहायक प्राध्यापक (ग्रंथालय विज्ञान)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
- ✓ 5. डॉ. (श्रीमती) प्रकृति जेम्स
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
6. प्रो तीर्थेश्वर सिंह
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
जिला- अनूपपुर (म0प्र0)
7. प्रो. एस. के. जाधव
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी विभाग)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
8. डॉ. बी. डी. मिश्रा
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

9. श्री शंशांक शर्मा
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर,
रायपुर (छ.ग.)
10. डॉ. (श्रीमती) विभा जोशी
आचार्य
स्कूल ऑफ एजुकेशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
11. आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
इंद्रावती भवन, खंड सी
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 23 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण का प्रेषण।
महोदय/महोदया,


पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 23 वीं बैठक दिनांक 09/05/2017 के कार्यवाही-विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


कुलसचिव

पृ. क्रं. / प्रशा./वि.प./बैठक/17 बिलासपुर, दिनांक /05/2017
प्रतिलिपि -

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
3. समस्त विभागाध्यक्ष _____ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. नस्ती हेतु।


कुलसचिव

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)



कार्यवाही विवरण


विद्या परिषद् की 23 वीं बैठक
दिनांक 09/05/2017
समय : 01:00 बजे दोपहर
स्थान – मुख्यालय, बिलासपुर

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 23 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की विद्यापरिषद् की 32 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 09/05/2017 को दोपहर 01:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह – अध्यक्ष
कुलपति
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. डॉ. अनिता सिंह – सदस्य
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
3. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह – सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा नामांकित वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक)
4. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति – सदस्य
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)
5. डॉ. प्रकृति जेम्स – सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)
6. प्रो तीर्थेश्वर सिंह – सदस्य
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
जिला- अनूपपुर (म0प्र0)





7. डॉ. राज कुमार सचदेव
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर - सचिव

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

1. आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.) - सदस्य
2. प्रो. एस. के. जाधव
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.) - सदस्य
3. श्री शंशाक शर्मा
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
रायपुर (छ.ग.) - सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) विभा जोशी
आचार्य
स्कूल ऑफ एजुकेशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली
(माननीय कुलपति जी इग्नू द्वारा नामांकित) - सदस्य
5. डॉ. बी. डी. मिश्रा
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.) - सदस्य
6. डॉ. प्रीति रानी मिश्रा
सहायक प्राध्यापक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर - सदस्य

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी के द्वारा नवनियुक्त सदस्य डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, डॉ. प्रकृति जेम्स एवं डॉ. प्रीति रानी मिश्रा सहित सभी सदस्यों का

RWD

18/1/22

स्वागत किया गया। कुलसचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न प्रस्ताव विचार हेतु रखे गये -

प्रस्ताव क्रं 1 विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 22 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय - विश्वविद्यालय विद्या परिषद् द्वारा कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुये पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 2 अध्यादेश क्रमांक 37 Post Graduate Diploma in Guidance and Counselling में सुधार पर विचार।

निर्णय - विद्या परिषद् के द्वारा अध्यादेश क्रमांक 37 में सुधार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 3 छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य में पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 42 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय - चर्चा उपरांत शीर्षक में पाठ्यक्रम शब्द तथा कंडिका 1 में पाठ्यक्रम शब्द विलोपित किया गया। कंडिका 8 में "आयोजित किये जा सकेंगे" के स्थान पर " आयोजित की जा सकेगी" किया गया।

इस पाठ्यक्रम के लिये रु. 3500/- वार्षिक शुल्क प्रस्तावित किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 4 श्रेणी/ग्रेड सुधार संबंधी प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 43 के अनुमोदन पर विचार।


निर्णय - चर्चा उपरांत कंडिका 3 को अध्यादेश का भाग न करने का निर्णय लिया गया बल्कि शुल्क के रूप में कार्य परिषद् में रखने का प्रस्ताव माना जाय। अध्यादेश में कंडिका 1 व 2 ही रखा जाये।

प्रस्ताव क्रं. 5 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 44 PG Diploma in Constitutional & Administrative Law (PGDCAL) के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय - शीर्षक में कंडिका 1 में PG Diploma in Constitutional & Administrative Law किया जाये। कंडिका 3 में Maximum duration will be three years जोड़ा जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्व-अध्ययन-सामग्री के विकास के पश्चात् ही कार्यक्रम चलाया जाय। शुल्क अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम के समकक्ष हो।





प्रस्ताव क्रं. 6 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 45 PG Diploma in Labour law & Labour Welfare के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि कंडिका 3 में Maximum duration will be three years जोड़ा जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्व-अध्ययन-सामग्री के विकास के पश्चात् ही कार्यक्रम चलाया जाय। शुल्क अन्य डिप्लोमा पाठयक्रम के समकक्ष हो।

प्रस्ताव क्रं. 7 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 46 PG Diploma in Entrepreneurship Development के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि कंडिका 3 में Maximum duration will be three years जोड़ा जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्व-अध्ययन-सामग्री के विकास के पश्चात् ही कार्यक्रम चलाया जाय। शुल्क अन्य डिप्लोमा पाठयक्रम के समकक्ष हो।

प्रस्ताव क्रं. 8 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 47 PG Diploma in Industrial Relations & Personnel Management के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि कंडिका 3 में Maximum duration will be three years जोड़ा जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्व-अध्ययन-सामग्री के विकास के पश्चात् ही कार्यक्रम चलाया जाय। शुल्क अन्य डिप्लोमा पाठयक्रम के समकक्ष हो।

प्रस्ताव क्रं. 9 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 48 PG Diploma in Administrative Law के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि कंडिका 3 में Maximum duration will be three years जोड़ा जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्व-अध्ययन-सामग्री के विकास के पश्चात् ही कार्यक्रम चलाया जाय। शुल्क अन्य डिप्लोमा पाठयक्रम के समकक्ष हो।

प्रस्ताव क्रं. 10 सहायक प्राध्यापक के शैक्षणिक पद पर नियमित नियुक्ति हेतु चयन समिति में माननीय कुलाधिपति के मनोनयन हेतु विषयवार (अंग्रेजी, वाणिज्य एवं शिक्षा) तीन-तीन विषय-विशेषज्ञों के नाम प्रेषित किये जाने पर विचार।

निर्णय – यह निर्णय लिया गया कि अकादमिक परिषद् की 18वीं बैठक दिनांक 10/11/2015 में विषयवार जिस सूची का अनुमोदन किया गया है उसे ही दिनांक 10/11/2018 (तीन वर्ष) तक के लिये अनुमोदित करते हुये माननीय कुलाधिपति महोदय के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाये। इन विषयों हेतु यदि नया पैनल बनाना हो, या अन्य विषयों हेतु पैनल बनाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया। वे आवश्यकतानुसार विषयों का पैनल बनाकर कुलाधिपति महोदय के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रेषित करेंगे।

प्रस्ताव क्रं. 11 स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम बी.ए. में वैकल्पिक विषय मनोविज्ञान, प्रबंधन एवं योग विज्ञान प्रारंभ करने पर विचार।

निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 12 विभिन्न विषयों के अध्ययन मंडलों के कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 13 अध्यादेश क्रमांक 41 में संशोधन पर विचार।

निर्णय – प्रस्तावित संशोधन मान्य किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 14 OER Policy for PSSOU के अनुमोदन पर विचार।


निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।


अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखे गये प्रस्ताव –

प्रस्ताव क्रं. 15 विश्वविद्यालय के अकादमिक वर्ष 2017-2018 के अकादमिक कैलेंडर के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति आभार प्रगट करते हुये बैठक समाप्त की गई।


(राज कुमार सचदेव)
कुलसचिव/सचिव


(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष : (07752) 210312, 213072 फ़ैक्स 424329, 213073

www.pssou.ac.in, E-mail – registrar@pssou.ac.in

क्रं. 347 (S)/प्रशा./वि.प./बैठक/17

बिलासपुर, दिनांक 14/09/2017

पंजीकृत डाक

प्रति,


1. डॉ. बी.एल. गोयल
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
2. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
3. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
4. डॉ. (श्रीमती) प्रीतिरानी मिश्रा
सहायक प्राध्यापक (ग्रंथालय विज्ञान)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
5. डॉ. (श्रीमती) प्रकृति जेम्स
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
6. प्रो तीर्थेश्वर सिंह
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गॉंधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
जिला- अनूपपुर (म0प्र0)
7. प्रो. एस. के. जाधव
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी विभाग)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
8. डॉ. बी. डी. मिश्रा
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

9. श्री शंशांक शर्मा
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर,
रायपुर (छ.ग.)
10. डॉ. (श्रीमती) विभा जोशी
आचार्य
स्कूल ऑफ एजुकेशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
11. आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
इंद्रावती भवन, खंड सी
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 24 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण का प्रेषण।
महोदय/महोदया,


पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या
परिषद् की 24 वीं बैठक दिनांक 12/09/2017 के कार्यवाही-विवरण आपके अवलोकन एवं
बहुमूल्य सम्मति हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


कुलसचिव

पृ. क्रं. /प्रशा./वि.प./बैठक/17 बिलासपुर, दिनांक /09/2017
प्रतिलिपि -

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर
इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन प्रतिवेदन
शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
3. समस्त विभागाध्यक्ष ----- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित।
4. नस्ती हेतु।


कुलसचिव

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)



कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद् की 24 वीं (आपात) बैठक
दिनांक 12/09/2017, दिन मंगलवार
समय : 12:00 बजे दोपहर
स्थान – सिरपुर प्रशासनिक भवन, बिलासपुर

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 24 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की विद्यापरिषद् की 24 वीं (आपात) बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 12/09/2017 को दोपहर 12:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही -

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह
कुलपति
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर - अध्यक्ष
2. डॉ. बी.एल. गोयल
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर - सदस्य
3. प्रो तीर्थेश्वर सिंह
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गॉंधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
जिला- अनूपपुर (म0प्र0) - सदस्य
4. डॉ. बी. डी. मिश्रा
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.) - सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा नामांकित वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक) - सदस्य
6. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित) - सदस्य

R. W. S. S.

12-9

7. डॉ. प्रकृति जेम्स
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग) - सदस्य
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)
8. डॉ. प्रीति रानी मिश्रा
सहायक प्राध्यापक - सदस्य
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)
9. डॉ. राज कुमार सचदेव
कुलसचिव - सचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

1. आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय - सदस्य
नया रायपुर (छ.ग.)
2. प्रो. एस. के. जाधव
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी) - सदस्य
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)
3. श्री शंशाक शर्मा
संचालक - सदस्य
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
रायपुर (छ.ग.)
4. डॉ. (श्रीमती) विभा जोशी
आचार्य - सदस्य
स्कूल ऑफ एजुकेशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली
(माननीय कुलपति जी इग्नू द्वारा नामांकित)

माननीय कुलपति जी के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात्
कुलसचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न प्रस्ताव विचार हेतु रखे
गये -


R. W. S. S.


12-9.

- प्रस्ताव क्रं. 1 विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की 23 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।
निर्णय – विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुये पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।
- प्रस्ताव क्रं. 2 अकादमिक कैलेण्डर वर्ष 2018-19 के अनुमोदन पर विचार।
निर्णय – विद्यापरिषद् के द्वारा संशोधन के साथ अकादमिक कैलेण्डर वर्ष 2018-2019 का अनुमोदन किया गया। संशोधित प्रति संलग्न।
- प्रस्ताव क्रं. 3 विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 02 (Doctor of Philosophy) में संशोधन पर विचार।
निर्णय – विद्यापरिषद् के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- प्रस्ताव क्रं. 4 एक अकादमिक वर्ष में, एक छात्र को उपाधि/पत्रोपाधि दिये जाने पर विचार।
निर्णय – विद्या परिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में कोई भी विद्यार्थी रेगुलर मोड या डिस्टेंस मोड से एक डिग्री या एक डिप्लोमा या दो डिप्लोमा एकसाथ कर सकता है, परन्तु दो डिग्री एक साथ करने के लिये मना किया गया।
- प्रस्ताव क्रं. 5 विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 14 एवं 15 में संशोधन पर विचार।
निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा अध्यादेश क्रमांक 14 एवं 15 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह भी कि दोनो अध्यादेशों में कंडिका 8 एवं 9 को विस्थापित करते हुये 'as per decision of academic council from time to time' किया गया।
- प्रस्ताव क्रं. 6 विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 26 में संशोधन पर विचार।
निर्णय – विद्या परिषद् के द्वारा सर्वसम्मति से अध्यादेश क्रमांक 26 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी कि कोर्स का शीर्षक 'Master of Arts (Education)' के स्थान पर 'Master of Arts in Education' किया गया।
- प्रस्ताव क्रं. 7 विभिन्न विषयों के अध्ययन मंडलों के कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।

- निर्णय - विद्या परिषद् के द्वारा सर्वसम्मति से विभिन्न अध्ययन मंडलों के कार्यवाही-विवरण का अनुमोदन एवम् संशोधन निम्नानुसार किया गया -
- (1) विद्या परिषद् के द्वारा समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, शिक्षा, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ग्रंथालय विज्ञान, भौतिक शास्त्र, जुलाजी, गणित, हिन्दी, संस्कृत, रसायन विज्ञान, बॉटनी एवम् कम्प्यूटर साइंस विषय के अध्ययन मंडल की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
 - (2) प्रबंधन विषय के अध्ययन मंडल की कार्यवाही विवरण में विभिन्न प्रस्तावों का अनुमोदन करते Bachelor of Business Administration (BBA) हेतु अध्यादेश क्रमांक 49 का अनुमोदन किया गया। यह भी कि दिनांक 04/09/2017 की बैठक में सुझाव क्रमांक 04 में Structure of Examination में परिवर्तन को अमान्य किया गया।
 - (3) वाणिज्य विषय के अध्ययन मंडल की कार्यवाही विवरण में सभी प्रस्तावों का अनुमोदन करते हुये Master of Commerce (M.Com.) हेतु अध्यादेश क्रमांक 50 का अनुमोदन किया गया।
 - (4) विधि विषय के अध्ययन मंडल की कार्यवाही विवरण में सभी प्रस्तावों का अनुमोदन करते हुये L.L.M. संबंधी अध्यादेश क्रमांक 34 में संशोधन पारित किया गया।
 - (5) योग विज्ञान विषय के अध्ययन मंडल की कार्यवाही विवरण में सभी प्रस्तावों का सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुये अध्यादेश क्रमांक 22 में 'Under the department of Indian Philosophy, Jyotish and Yogic Science' के स्थान पर 'Under the department of Psychology' करना मान्य किया गया तथा अध्यादेश के बिन्दु क्रमांक 4, 6 एवम् 7 में वर्णित विवरण के स्थान पर 'As per decision of the Board of Studies' मान्य किया गया। साथ ही बिन्दु क्रमांक 11 'Pass Percentage and Division' के स्थान पर 'Pass Grade' मान्य किया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करते हुये बैठक समाप्त की गई।


(राज कुमार सचदेव)
कुलसचिव/सचिव


(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

अकादमिक कैलेण्डर (2018-2019)

S.N.	Activity	January- December Cycle	July- June Cycle
1	2	3	4
1	प्रवेश प्रक्रिया (ऑन लाईन)	1 दिसंबर, 2017 से 30 जनवरी, 2018	16 जून, 2018 से 15 सितम्बर, 2018
2	प्रवेश प्रक्रिया (विलंब शुल्क सहित)	1 फरवरी, 2018 से 28 फरवरी, 2018	16 सितम्बर, 2018 से 15 अक्टूबर, 2018
3	अध्ययन सामग्री / सत्रीय कार्य प्रश्न-पत्र वितरण	25 जनवरी से 15 मार्च, 2018	16 जून, 2018 से 31 अक्टूबर, 2018
4	सम्पर्क कक्षाओं का आयोजन	19 जुलाई से 25 अगस्त, 2018	1 दिसम्बर, 2018 से 30 जनवरी, 2019
5	प्रायोगिक परीक्षा	26 अगस्त, 2018 तक	11 दिसम्बर 2018 से 31 जनवरी, 2019
6	सत्रीय कार्य जमा करना	16 अगस्त से 23 अगस्त, 2018	15 जनवरी से 31 जनवरी, 2019
7	संत्रात परीक्षा का आयोजन	दिसम्बर, 2018	16 जून से 30 जुलाई, 2019
8	परीक्षा परिणाम	मार्च, 2019	30 सितम्बर, 2019
9	दीक्षांत समारोह का आयोजन	21 दिसम्बर, 2019	21 दिसम्बर, 2019

R. D. Sharma

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)



कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद् की 25 वीं (आपात) बैठक
दिनांक 27 / 10 / 2017, दिन शुक्रवार
समय : 12:30 बजे दोपहर
स्थान – सिरपुर प्रशासनिक भवन, बिलासपुर

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 25 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की विद्यापरिषद् की 25 वीं (आपात) बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 27/10/2017 को दोपहर 12:30 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही -

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह - अध्यक्ष
कुलपति
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. डॉ. बी.एल. गोयल - सदस्य
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
3. प्रो तीर्थेश्वर सिंह - सदस्य
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गॉंधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
जिला- अनूपपुर (म0प्र0)
4. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह - सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा नामांकित वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक)
5. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति - सदस्य
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)
6. डॉ. प्रकृति जेम्स - सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)

R. D. Sharma
27.10.17

B. S. L.

7. डॉ. प्रीति रानी मिश्रा — सदस्य
सहायक प्राध्यापक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)

8. श्री शंशाक शर्मा — सदस्य
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
रायपुर (छ.ग.)

9. डॉ. राज कुमार सचदेव — सचिव
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

1. आयुक्त — सदस्य
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)

2. प्रो. एस. के. जाधव — सदस्य
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

3. डॉ. (श्रीमती) विभा जोशी — सदस्य
आचार्य
स्कूल ऑफ एजुकेशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली
(माननीय कुलपति जी इग्नू द्वारा नामांकित)

4. डॉ. बी. डी. मिश्रा — सदस्य
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न प्रस्ताव विचार हेतु रखे गये -

R. D. Mishra
27.10.17

R. D. Mishra

प्रस्ताव कं 1 अकादमिक वर्ष 2018-2019 के लिये प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के PPR एवं स्व अध्ययन सामग्री (SLM) के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय - विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निम्न पाठ्यक्रमों के Programme Project Report (PPR) एवं स्व अध्ययन सामग्री (SLM) का अनुमोदन किया -

Sr. No.	Name of Programme
1	BACHELOR OF ART (BA)
2	BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (BBA)
3	BACHELOR OF COMMERCE (B.COM.)
4	BACHELOR OF EDUCATION (B.ED.)
5	BACHELOR OF LIBRARY SCIENCE AND INFORMATION SCIENCE (B.LIB.)
6	BACHELOR OF SCIENCE (BIOLOGY)
7	BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS)
8	DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION (DCA)
9	DIPLOMA IN ELEMENTARY EDUCATION (D.EL.ED.)
10	MASTER OF ART (ECONOMICS)
11	MASTER OF ART (HISTORY)
12	MASTER OF ART (MATHEMATICS)
13	MASTER OF ART (POLITICAL SCIENCE)
14	MASTER OF ART (SOCIOLOGY)
15	MASTER OF ARTS (ENGLISH LIT.)
16	MASTER OF ARTS (HINDI LIT.)
17	MASTER OF ARTS (SANSKRIT)
18	MASTER OF COMMERCE (M.COM.)
19	MASTER OF ARTS IN EDUCATION
20	MASTER OF LAW (L.L.M.)
21	MASTER OF ARTS (PSYCHOLOGY)
22	MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS)
23	MASTER OF SOCIAL WORK (MSW)

R. S. S. S.
27.10.17

B. S. S. S.

24	POST GRADUATE DIPLOMA IN ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS (PGDAPR)
25	POST GRADUATE DIPLOMA IN BROADCAST JOURNALISM AND NEW MEDIA (PGDBJNM)
26	POST GRADUATE DIPLOMA IN CHHATTISGARHI BHASHA AVAM SAHITYA
27	POST GRADUATE DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION (PGDCA)
28	POST GRADUATE DIPLOMA IN HOTEL MANAGEMENT (PGDHM)
29	POST GRADUATE DIPLOMA IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (PGDHRM)
30	POST GRADUATE DIPLOMA IN JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION (PGDJMC)
31	POST GRADUATE DIPLOMA IN LABOUR LAW AND LABOUR WELFARE
32	POST GRADUATE DIPLOMA IN MARKETING MANAGEMENT (PGDMM)
33	POST GRADUATE DIPLOMA IN PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNCELLING (PGDPCG)
34	POST GRADUATE DIPLOMA IN TOURISM MANAGEMENT (PGDTM)
35	POST GRADUATE DIPLOMA IN YOG SCIENCE (PGDYC)
36	DIPLOMA IN EARLY LANGUAGE TEACHING (DELT)

प्रस्ताव क्रं 2 मानद उपाधि समिति की तृतीय बैठक दिनांक 27/10/2017 की कार्यवाही –विवरण पर विचार।

निर्णय – विद्यापरिषद् द्वारा मानद उपाधि समिति की तृतीय बैठक दिनांक 27/10/2017 की अनुशंसा को विचारोपरांत सर्वसम्मति से तदनुसार निम्नानुसार मानद उपाधि हेतु नाम संस्तुत किया गया –

1. डॉ. ए. डी. एन. वाजपेयी, जबलपुर – डी.लिट् की मानद उपाधि
(पूर्व कुलपति
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा,
हिमाचल विश्वविद्यालय शिमला एवम्
ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट)
2. श्री दीपक चन्द्राकर – पीएच.डी. की मानद उपाधि
दुर्ग (छत्तीसगढ़)
3. श्री बनवारी लाल अग्रवाल – पीएच.डी. की मानद उपाधि
कोरबा (छत्तीसगढ़)

प्रस्ताव कं 3 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 51 DIPLOMA IN ELEMENTARY LANGUAGE TEACHING (DELT) के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विद्यापरिषद के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विद्या परिषद् के सम्मानीय सदस्य डॉ. विभा जोशी ने व्हाट्सअप पर अपने टीप "Not able to participate due to prior commitment at IGNOU. Gone through the agenda item, my consent is there" प्रेषित किया है तथा सम्मानीय सदस्य डॉ. एस. के. जाधव ने दूरभाष पर सभी प्रस्तावों में अपनी सहमति व्यक्त किया है।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त की गई।

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह
2. डॉ. बी.एल. गोयल
3. प्रो. तीर्थेश्वर सिंह
4. डॉ. बीना सिंह
5. डॉ. प्रकृति जेम्स
6. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
7. डॉ. प्रीतिरानी मिश्रा
8. श्री शंशांक शर्मा
9. डॉ. राजकुमार सचदेव

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

14/10/17
27-10-17
B.S.I.
27-10-17
Sachdev
27/10/17
Sachdev
27/10/17
R. Wadhwa
27.10.17



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष : (07752) 210312, 213072 फ़ैक्स 424329, 213073

www.pssou.ac.in, E-mail – registrar@pssou.ac.in

क्रं. 446(S)/प्रशा./वि.प./बैठक/17

बिलासपुर, दिनांक 28 /10/2017

पंजीकृत डाक

प्रति,

1. डॉ. बी.एल. गोयल
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
2. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
3. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
4. डॉ. (श्रीमती) प्रीतिरानी मिश्रा
सहायक प्राध्यापक (ग्रंथालय विज्ञान)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
5. डॉ. (श्रीमती) प्रकृति जेम्स
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
6. प्रो तीर्थेश्वर सिंह.
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
जिला- अनूपपुर (म0प्र0)
7. प्रो. एस. के. जाधव
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी विभाग)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
8. डॉ. बी. डी. मिश्रा
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

9. श्री शशांक शर्मा
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर,
रायपुर (छ.ग.)
10. डॉ. (श्रीमती) विभा जोशी
आचार्य
स्कूल ऑफ एजुकेशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
11. आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
इंद्रावती भवन, खंड सी
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 25 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण का प्रेषण।
महोदय/महोदया,

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या
परिषद् की 25 वीं बैठक दिनांक 27/10/2017 के कार्यवाही-विवरण आपके अवलोकन एवं
बहुमूल्य सम्मति हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

R. W. S. S.
कुलसचिव

पृ. क्रं. / प्रशा. / वि.प. / बैठक / 17 बिलासपुर, दिनांक / 10 / 2017
प्रतिलिपि -

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर
इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन प्रतिवेदन
शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
3. समस्त शैक्षणिक विभागाध्यक्ष _____ को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. नस्ती हेतु।

सही
कुलसचिव



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष : (07752) 240702, 240712

www.pssou.ac.in, E-mail – registrar@pssou.ac.in

क्रं. 1029(5)/प्रशा./वि.प./बैठक/18

बिलासपुर, दिनांक 02/06/2018

पंजीकृत डाक/वास्ते-हस्त

प्रति,


1. डॉ. बी.एल. गोयल
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
2. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
3. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
4. डॉ. (श्रीमती) प्रीतिरानी मिश्रा
सहायक प्राध्यापक (ग्रंथालय विज्ञान)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
5. डॉ. (श्रीमती) प्रकृति जेम्स
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
6. प्रो तीर्थेश्वर सिंह
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
जिला- अनूपपुर (म0प्र0)
7. डॉ. संजय तिवारी
आचार्य, इलेक्ट्रानिकी विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
8. प्रो. बी. एन. तिवारी,
आचार्य, माइक्रोबायोलॉजी विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर

9. श्री शंशांक शर्मा
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर,
रायपुर (छ.ग.)
10. आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
इंद्रावती भवन, खंड सी
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 26 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण का प्रेषण।
महोदय/महोदया,

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या
परिषद् की 26 वीं बैठक दिनांक 01/06/2018 के कार्यवाही-विवरण आपके अवलोकन एवं
बहुमूल्य सम्मति हेतु संलग्न प्रेषित है।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



कुलसचिव

पृ. क्रं. / प्रशा./वि.प./बैठक/18 बिलासपुर, दिनांक /06/2018
प्रतिलिपि -

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर
इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन प्रतिवेदन
शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
4. नस्ती हेतु।



कुलसचिव

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)



कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद् की 26 वीं बैठक
दिनांक 01/06/2018, दिन शुक्रवार
समय : 12:00 बजे दोपहर
स्थान – सिरपुर प्रशासनिक भवन, बिलासपुर

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 26 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की विद्यापरिषद् की 26 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 01/06/2018 को दोपहर 12:00 बजे विश्वविद्यालय के "सिरपुर प्रशासनिक भवन" बिलासपुर में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही -

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह - अध्यक्ष
कुलपति
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. डॉ. बी.एल. गोयल - सदस्य
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
3. प्रो तीर्थेश्वर सिंह - सदस्य
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
जिला- अनूपपुर (म0प्र0)
4. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह - सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा नामांकित वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक)
5. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति - सदस्य
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)
6. डॉ. प्रीति रानी मिश्रा - सदस्य
सहायक प्राध्यापक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)

R. W. S. S.

15/6/18

7. डॉ. राज कुमार सचदेव - सचिव
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

1. आयुक्त - सदस्य
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)
2. प्रो. संजय तिवारी, - सदस्य
आचार्य, इलेक्ट्रानिकी विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
3. प्रो. बी. एन. तिवारी, - सदस्य
आचार्य, माइक्रोबायोलॉजी विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
4. श्री शंशाक शर्मा - सदस्य
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
रायपुर (छ.ग.)
5. डॉ. प्रकृति जेम्स - सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)

गणपूर्ति के अभाव में कार्यपरिषद् की बैठक स्थगित की गई तथा आधे घंटे के बाद स्थगित बैठक प्रारंभ की गई। अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न प्रस्ताव विचार हेतु रखे गये -

प्रस्ताव क्र. 01 अध्यादेश क्रमांक 01 (**Admission of Students**) में कुछ प्रावधानों को जोड़कर संशोधित करने पर विचार।

निर्णय - 1. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी पृष्ठों में भाषा वर्तनीय के त्रुटियों को दूर करने हेतु डॉ. बीना सिंह तथा डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति अपना

Revised

BSG

अवलोकन प्रस्तुत करेंगे तथा तदानुसार आर्डिनेन्स ड्राफ्ट में संशोधन कर विद्या परिषद् की तरफ से कार्यपरिषद् में रखा जाये। भाषागत त्रुटियों के संशोधन को विद्या परिषद् में पुनः रखने की आवश्यकता नहीं है।

2. प्रस्तुत अध्यादेश/प्रावधानों में निम्नानुसार प्रतिस्थापना/जोड़ना/हटाने का अनुमोदन किया गया है -

पृ. क्र.	पार्ट/कडिका	प्रावधान	प्रतिस्थापना/जोड़ना/हटाना
1	2	3	4
6	PART-A A-1	Admission to the University under the scheme of distance education shall be open to the residents of Chhattisgarh irrespective of caste and creed having the following objective -	Admission to the University under the scheme of distance education shall be open to all irrespective of caste and creed having the following objectives -
14	PART-B 10(d)	200 days	300 days
15	PART-B 13(b)	The candidate shall submit six copies of the summary of the thesis together with a list of at least one research paper published or accepted for publication in a refereed journal through his/her Supervisor to the Registrar about two months prior to the anticipated date of submission of thesis.	The candidate shall submit six copies of the summary of the thesis together with a list of research paper(s) published or accepted for publication in a refereed journal through his/her Supervisor to the Registrar about two months prior to the anticipated date of submission of thesis.
16	PART-B 14(a)	Ph.D. scholars must publish at least one (1) research paper in refereed journal and make two paper presentations in conferences/seminars before the submission of the dissertation/thesis for adjudication, and produce evidence for the same in the form of presentation certificates and/or reprints.	Ph.D. scholars must publish research paper(s) in refereed journal and make two paper presentations in conferences/seminars as per UGC Norms before the submission of the dissertation/thesis for adjudication, and produce evidence for the same in the form of presentation certificates and/or reprints.
26	PART-C 11(1)	Execution Council	Executive Council
26	PART-C 11(2)	Execution Council	Executive Council
27	PART-C C- 1.1	C- 1.1 के सभी प्रावधान	नया C-1.1 का प्रतिस्थापन निम्नानुसार - (i) Non-professional Graduate (B.A./B.Sc./B.Com.) and Post Graduate (M.A./ M.SC.)

R. W. W. W.

B. G. L.

		<p>programmes will offer choice based credit courses for students in their final year. Students may opt any one paper from the list given in the admission brochure in lieu of any one paper of his/her main subjects. The credits and grade points earned will be accommodated in the marksheet with a remark "CBCS Paper".</p> <p>(ii)</p> <p>(a) Non-professional graduate (B.A./B.Sc./ B.Com.) and Post Graduate (M.A./M.Sc.) programmes will provide students an opportunity to opt an online course from the list of MOOCs at SWAYAM Platform of MHRD, Govt. of India. Credits earned while doing online course will be accommodated with the main course.</p> <p>(b) At graduation level, maximum two papers will be accommodated in lieu of his/her original paper(s), while only one paper will be allowed to be replaced by the online course at post graduate level.</p> <p>The online course through SWAYAM will be allowed in the complete duration of a course; however, students will have to inform the University about his/her online course in advance, and about the subject and paper(s) in lieu of which the online course will be chosen.</p> <p>(iii) The University will also provide online courses in the programmes currently run by the University in accordance with the rules/regulations led by the UGC/MHRD, Govt. of India/State Govt.</p> <p>The examination of such online courses will be conducted online in conformity with the policy of UGC/MHRD. Other provisions will be same as in the case of specific courses being provided offline.</p> <p>The Online programmes comprise of online (i) admission, (ii) delivery of study material, (iii) submission of assignments and</p>
--	--	---

Ridwan

BGL

			(iv) term end examination along with assessment of submitted assignments and answer sheets of term end examinations. The Course and fee will be same as in the case of existing open mode courses of the University. Other provisions will also be the same.
47	PART-C (20)	मानद उपाधि के लिए Citation जो विशिष्ट व्यक्ति को दिया जाना है उसे कुलाधिपति अपने ढंग से परिवर्तित कर सकेंगे।	मानद उपाधि के लिए Citation जिसे कुलाधिपति की उपस्थिति में विशिष्ट व्यक्ति को दिया जाना है उसे कुलाधिपति अपने ढंग से परिवर्तित कर सकेंगे।
47	PART-C (24)	दीक्षांत समारोह समाप्ति की घोषणा के लिए कुलसचिव, कुलाधिपति या कुलपति (जैसी भी स्थिति हो) से दीक्षांत समारोह समाप्त करने की घोषणा की अनुमति प्राप्त करेंगे तथा दीक्षांत समारोह समाप्ति घोषणा करेंगे। इसके पश्चात् जुलूस दीक्षांत हॉल से बाहर उल्टे क्रम में जुलूस के रूप में जायेगा। इस बीच सभी लोग अपने स्थान पर खड़े रहेंगे।	दीक्षांत समारोह समाप्ति की घोषणा के लिए कुलसचिव, कुलाधिपति या कुलपति (जैसी भी स्थिति हो) से दीक्षांत समारोह समाप्त करने की घोषणा की अनुमति प्राप्त करेंगे तथा दीक्षांत समारोह समाप्ति की घोषणा करेंगे। इसके पश्चात् जुलूस दीक्षांत हॉल से बाहर उल्टे क्रम में जुलूस के रूप में जायेगा। इस बीच सभी लोग अपने स्थान पर खड़े रहेंगे।
51	PART-E 1.1 - 3	Duration (के बाद)	Duration 3 = years, Maximum duration will be 6 year जोड़ा जाये।
53 56 60 69 72 74 78 80	PART-E E-1.1 - 9 E-1.2 - 9 E-1.3 - 9(g) E-2.1 - 11(d) E-2.2 - 11(d) E-2.3 - 9(d) E-2.5 - 10(d) E-2.6 - 11(d) E-3.5 - 12(C)	A student who has not completed programme/course within maximum time limit (six year) Student may apply for Re-Registration. The credits earned/ obtained during previous registration will be carried forward.	A student who has not completed programme/ course within maximum time limit (six year) Student may apply for Re-Registration.
53 56 60 70 72 75 78 80	PART-E (1) 1.1 - 11 (2) 1.2 - 11 (3) 1.3 - 11 (4) 2.1 - 13 (5) 2.2 - 13 (6) 2.3 - 13 (7) 2.5 - 12 (8) 2.6 - 13	Maximum 05 (five) marks may be given to a student as Grace Marks provided in the ordinance.	Maximum 05 (five) marks may be given to a student as Grace Marks as per provisions given in the ordinance.

R. W. S. D.

59/2

81	(9) 2.7 - 12		
89	(10) 3.4 - 12		
91	(11) 3.5 - 14		
94	(12) 3.7 - 12		
97	(13) 3.9 - 13		
99	(14) 3.10 - 12		
101	(15) 3.11 - 12		
103	(16) 3.12 - 12		
105	(17) 3.13 - 12		
54	PART-E 1.2 - 3	Duration (के बाद)	Duration 3 = years, Maximum duration will be 6 year जोड़ा जाये।
57	PART-E E-1.3 - 3	Duration (के बाद)	Duration 3 = years, Maximum duration will be 6 year जोड़ा जाये।
77	PART-E E-2.5 - 4	Duration of Course/Programme shall be of two years /four semesters consisting of courses of at least 40 credits in one year or 20 credits in one semester.	Duration of Course/ Programme shall be of two years / four semesters consisting of courses of at least 40 credits in one year or 20 credits in one semester. Maximum duration will be of 4 years.
79	PART-E E-2.6 - 3	Duration of Course/Programme shall be of two years or Four Semesters, and, papers will be decided by the Board of Studies.	Duration of Course/ Programme shall be of two years or Four Semesters, and, papers will be decided by the Board of Studies. Maximum duration will be 4 years.
80	PART-E E-2.6 - 15	It is also provided that considering the decision passed by the legal educational Committee of BCI in its meeting held on 7 th July 2012 that the Master Degree of Law conferred by open University or obtained from distance mode educational programme will not be recognized for teaching purpose the degree of master of Laws of this University will be subjected to the final decision of BCI regarding the recognition for the teaching purpose	It is provided that according to the decision made by the Legal Education Committee of BCI at its meeting held on 7 th July 2012, any LL.M. degree through Distance/ Correspondence course should not be considered qualification for appointment to teach law to the students. Thereafter, the Sub Committee constituted by the BCI at its meeting held on 12 th November 2012 decided that the decision of the Legal Education Committee be kept in abeyance till the final decision . The BCI at its meeting held on 18 th November 2012 accepted the decision of the Sub Committee. Thus the Circular No. BCI:D:1661/2012 (LE.Affi.) dated 21.08.2012 has been kept in abeyance till the final decision to be taken in this regard .
81	PART-E E-2.7 - 3	Minimum duration of programme shall be of two years and Maximum duration will be of five years.	Minimum duration of programme shall be of two years and Maximum duration will be of four years.

Resubtd

BT 12

85	PART-E E-3.2 - 9	two	three
85	PART-E E-3.2 -11	Pass Percentage and Division	Pass Percentage/Grace /Grade Points
93	PART-E E-3.7 - 3	Minimum duration of programme shall be of one year.	Minimum duration of programme shall be of one year. Maximum duration will be three year.
95	PART-E E-3.8 - 7	विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार या अध्ययन मंडल के निर्णय अनुसार होगी।	विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार होगी।
96	PART-E E-3.9 - 3	Minimum duration of programme shall be of one year.	Minimum duration of programme shall be of one year. Maximum duration will be three year.
104	PART-E E-3.13 - 3	Minimum duration of programme shall be of one year.	Minimum duration of programme shall be of one year. Maximum duration will be three year.
106	PART-E E-4.1 - 6	15	10
113	PART-E E-4.5 - 3	This course shall be of one academic year's.	Minimum duration of programme shall be of one year. Maximum duration will be three year.
115	PART-E E-4.6 - 3	This course shall be of one academic year's duration (as per calendar of the university).	Minimum duration of programme shall be of one year. Maximum duration will be three year.
118	PART-E E-4.8 - 3	This course shall be of one academic years duration (as per calendar of the university).	Minimum duration of programme shall be of one year. Maximum duration will be three year.

3. पृष्ठ क्रमांक 05 में क्रम संख्या 47 पर E-4.9 "Diploma in Elementary Language Teaching (DELT)" बढ़ाया जाय तथा तदनुसार पृष्ठ क्रमांक 119 पर E-4.9 निम्नानुसार अंश को जोड़ा जाये -

E-4.9: Diploma in Elementary Language Teaching.

- 1 **Course Title:** Diploma in Elementary Language Teaching.
- 2 **Eligibility:** 10+2 or Equivalent.
- 3 **Duration of Course:** The minimum duration of the course shall be of one year and maximum will be three years from registration.
- 4 **Medium of Instruction:** The medium of Self-Learning Material will be Hindi. However, student may opt to write the answer in Hindi/English in continuous evaluation (TMA) term end examination(TEE).
- 5 **Programme Structure:** As per decision of Board of Studies of Education.

Riwanda

ASL

6 **Examination Scheme, Evaluation Criteria and Result:** As per provisions given in the Ordinance.


7 **Other Provisions:** As per provisions given in the Ordinance.”


4. अध्यादेश के अंतिम भाग के रूप में **F-1 (Repealed Provisions)** के निम्नलिखित प्रावधान को सरल क्रमांक 49 में जोड़े जाने का निर्णय लिया गया –

“ F-1: Repealed Provisions

Prior to implementation of amendment/repealment/addition in the Ordinance No. 1, the courses and other activities run/done by the University will be treated/regulated by the then existing provisions of the University. After implementation of the amendment/ addition in the Ordinance No.1, all the courses and related activities will be regulated by the provisions of this Ordinance”.

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त की गई।


(डॉ. राजकुमार सचदेव)
कुलसचिव / सचिव


(डॉ. बंश गोपाल सिंह) 01.06.18
कुलपति / अध्यक्ष



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 1142 / वि.प. / बैठक / 18,

बिलासपुर, दिनांक 07/08/2018

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्यापरिषद की 27 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 07/08/2018, दिन मंगलवार दोपहर 12:00 बजे विश्वविद्यालय के 'सिरपुर प्रशासनिक भवन' के कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही -

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह - अध्यक्ष
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. डॉ. बी.एल. गोयल - सदस्य
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
3. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह - सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा नामांकित वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक)
4. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति - सदस्य
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)
5. डॉ. प्रीति रानी मिश्रा - सदस्य
सहायक प्राध्यापक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)


6. डॉ. प्रकृति जेम्स — सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)
7. प्रो. बी. एन. तिवारी, — सदस्य
आचार्य,
जैव प्रौद्योगिकी विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
8. प्रो तीर्थेश्वर सिंह — सदस्य
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक
जिला- अनूपपुर (म०प्र०)
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
9. डॉ. राज कुमार सचदेव — सचिव
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

1. आयुक्त — सदस्य
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)
2. प्रो. संजय तिवारी, — सदस्य
आचार्य, इलेक्ट्रानिकी विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
4. श्री शंशाक शर्मा — सदस्य
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रखा जाकर निर्णय लिया गया-




7.8.18

प्रस्ताव क्र. 01 अध्यादेश क्रमांक 01 (**Admission of Students**) में कुछ प्रावधानों को जोड़कर संशोधित करने पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् के द्वारा सर्वसम्मिति से निम्न संशोधन सहित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया –

1. प्रस्तावित प्रावधान E-5.2 (Certificate Course in Goods Service Tax) के कंडिका 2 (Eligibility) में "degree Examination of Commerce" के स्थान पर "B.Com./B.B.A./C.A. (Level A)/ C.S. (Level A)/ B.Com.- L.L.B. examination" प्रतिस्थापित किया गया।
2. संपर्क कक्षा : विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयानुसार " किया गया।
3. कंडिका 8 Valuation of Project/Fieldwork/Dissertation work/Practical work के स्थान पर "Valuation of practices: Practice during contact classes shall be examined by examiner(s) appointed by the University" किया गया।
4. प्रस्तावित प्रावधान E-5.3 (Certificate Course in Vedic Mathematics) की कंडिका 2 में "Examination in recognized" वाक्यांश में से "in" शब्द को विलोपित किया गया।
5. प्रस्तावित प्रावधान E-5.3 के कंडिका 8 को "Contact Class: as per provisions of the University" के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखे गये प्रस्ताव –

प्रस्ताव क्र. 02 विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 01 (**Admission of Students**) में संशोधन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् के द्वारा सर्वसम्मिति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।


प्रस्ताव क्र. 03 विभिन्न विषयों के अध्ययन मंडलों के कार्यवाही-विवरण पर विचार।


निर्णय – विद्या परिषद् के द्वारा गणित अध्ययन मंडल की कार्यवाही-विवरण का अनुमोदन किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि संस्कृत विषय का अध्ययन मंडल अपनी कार्यवाही पूरी करने के बाद विद्या परिषद् की आगामी बैठक में कार्यवाही-विवरण को अनुमोदनार्थ रखा जाय।

प्रस्ताव क्र. 04 विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 20 प्रथम अध्यादेश में संशोधन, निरसन या परिवर्तन की प्रक्रिया (Process of Amendment, Repealment or Change in the First Ordinance) में संशोधन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् के द्वारा सर्वसम्मिति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त की गई।



07.8.18
(राज कुमार सचदेव)
कुलसचिव/सचिव


7.8.18
(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

पृ. क्रं. 1142 / का.प./बैठक/18,
प्रतिलिपि –

बिलासपुर, दिनांक 07/08/2018

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. निज सचिव, कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सम्मानीय सदस्यगण –
 - 3.1 डॉ. बी.एल. गोयल, क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
 - 3.2 डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, PSSOU
 - 3.3 डॉ. (श्रीमती) प्रकृति जेम्स, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU
 - 3.4 डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, PSSOU
 - 3.5 डॉ. प्रीति रानी मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, PSSOU
 - 3.6 प्रो. तीर्थेश्वर सिंह, आचार्य एवं अध्यक्ष, अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक, जिला अनूपुर (म.प्र.)
 - 3.7 डॉ. बी.एन. तिवारी, आचार्य, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
 - 3.8 डॉ. संजय तिवारी, आचार्य, इलेक्ट्रानिकी अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
 - 3.9 श्री शशांक शर्मा, संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)
 - 3.10 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी-3, नया रायपुर (छ.ग.)
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
5. नस्ती हेतु।


कुलसचिव

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, विलासपुर

कोनी-विरकोना मार्ग, विलासपुर दूरभाष : (07752) 240711

www.pssou.ac.in, E-mail - registrar@pssou.ac.in

क्र. 1247/प्रशा./वि.प./वैठक/18

विलासपुर, दिनांक - 07/12/2018

प्रति,

1. डॉ. तीर्थेश्वर सिंह
आचार्य एवं अध्यक्ष
मानविकी एवं भाषाशास्त्र
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय वि.वि.
अमरकंटक (म.प्र.)
2. डॉ. बी. एल. गोयल
क्षेत्रीय निदेशक
पं सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, विलासपुर
3. डॉ. (श्रीमती) वीना सिंह
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)
पं सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, विलासपुर
4. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)
पं सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, विलासपुर
5. डॉ. (श्रीमती) प्रीति रानी मिश्रा
सहायक प्राध्यापक
पं सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, विलासपुर
6. प्रो. संजय तिवारी, अध्यक्ष
बायोटेक्नॉलॉजी विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
7. प्रो. बी. एन. तिवारी, प्राध्यापक
माइक्रोबायलाजी
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, विलासपुर
8. श्री शशांक शर्मा, संचालक
छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
रायपुर (छ.ग.)
9. आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)

10. श्रीमती प्रकृति जोषा
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

विषय :- विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 28 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण का प्रेषण।

महोदय,

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 28 वीं बैठक दिनांक 07/12/2018 का कार्यवाही विवरण आपके अवलोकनार्थ एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

R. S. Sharma
कुलसचिव

152

पृ.क्र. 1892/प्रशा./वि.प./बैठक/18 बिलासपुर, दिनांक - 07/12/2018

प्रतिलिपि :

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. निज सहायक, कुलसचिव को माननीय कुलसचिव के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. संबंधित विभाग प्रमुखों अकादमी को कार्यवाही विवरण
5. की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही पूर्ण का पालन- प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।
6. विशेष कर्तव्य अधिकारी (प्रशासन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


R. S. Sharma
कुलसचिव

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
152 छत्तीसगढ़, बिलासपुर

019

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)



कार्यवाही – विवरण

विद्या परिषद् की 28 वीं बैठक
दिनांक 07/12/2018, दिन, शुक्रवार
समय – 12:00 बजे दोपहर
स्थान – सिरपुर प्रशासनिक भवन, बिलासपुर

R. Wadhwa
07.12.18

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 28 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की विद्यापरिषद् की 28 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 07/12/2018 दिन शुक्रवार को अपरान्ह 12.00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय के कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही -

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह - अध्यक्ष
कुलपति
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
2. डॉ. तीर्थेश्वर सिंह - सदस्य
आचार्य एवं अध्यक्ष
मानविकी एवं भाषाशास्त्र
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय वि.वि.
अगरकंटक (म.प्र.)
2. प्रो. बी. एन. तिवारी, प्राध्यापक - सदस्य
बायोटेक्नालॉजी
गुरु घासीदास (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, बिलासपुर
3. डॉ. बी. एल. गोयल - सदस्य
क्षेत्रीय निदेशक
पं सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
4. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह - सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)
पं सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा नामांकित वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक)
5. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति - सदस्य
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)
पं सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)
6. डॉ. (श्रीमती) प्रीति रानी मिश्रा - सदस्य
सहायक प्राध्यापक
पं सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा नामांकित वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक)

Revised
07.12.18

B. G. I. 7
7.12.18

7. श्रीमती प्रकृति जेम्स - सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, विलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)
8. डॉ. राज कुमार रावदेव - सचिव
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, विलासपुर


निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके -


1. प्रो. संजय तिवारी, अध्यक्ष - सदस्य
इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
2. श्री शशांक शर्मा, संचालक - सदस्य
छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
रायपुर (छ.ग.)
3. आयुक्त - सदस्य
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न प्रस्ताव विचार हेतु रखे गये-

- प्रस्ताव क्र. - 01 विश्वविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के अंक-योजना पर पुनर्विचार।
- निर्णय - 01 अनुमोदन किया गया। अनुमोदित प्रस्ताव को 14 दिसम्बर 2018 से होने वाली सत्रांत परीक्षा से लागू किया जाना निश्चित किया गया।
- प्रस्ताव क्र. - 02 तृतीय दीक्षांत समारोह की तिथि एवं अतिथि के नाम पर विचार।
- निर्णय - 02 विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता हेतु महामहिम कुलाधिपति महोदय से निवेदन कर दीक्षांत समारोह की तिथि तय की जाये एवं समारोह के मुख्य अतिथि हेतु नाम तय करने के लिए माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त की गई


(डॉ. राज कुमार रावदेव)
कुलसचिव / सचिव


(डॉ. बंश गोपाल सिंह)
कुलपति



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 2070/वि.प./बैठक/19,

बिलासपुर, दिनांक 07/02/2019

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्यापरिषद् की 29 वीं आपात बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 07/02/2019, दिन गुरुवार पूर्वान्ह 10:30 बजे विश्वविद्यालय के 'सिरपुर प्रशासनिक भवन' के कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही -

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर - अध्यक्ष
2. डॉ. बी.एल. गोयल
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर - सदस्य
3. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा नामांकित वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक) - सदस्य
4. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित) - सदस्य
5. डॉ. प्रीति रानी मिश्रा
सहायक प्राध्यापक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित) - सदस्य

Rubandh

PSH 4

6. डॉ. प्रकृति जेम्स — सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)
7. प्रो तीर्थेश्वर सिंह — सदस्य
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक
जिला- अनूपपुर (म0प्र0)
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
8. प्रो. बी. एन. तिवारी, — सदस्य
आचार्य,
जैव प्रौद्योगिकी विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
9. डॉ. राज कुमार सचदेव — सचिव
कुलसचिव

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

1. आयुक्त — सदस्य
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)
2. प्रो. संजय तिवारी, — सदस्य
आचार्य, इलेक्ट्रानिकी विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
3. संचालक — सदस्य
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
रायपुर (छ.ग.)
4. डॉ. व्ही.व्ही. रेड्डी — सदस्य
कुलसचिव (SED),
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
(कुलपति इग्नू द्वारा नामांकित)

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रखा जाकर निर्णय लिया गया-

प्रस्ताव क्र. 01 विश्वविद्यालय विषयों के अध्ययन मंडलों की कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय - विद्या परिषद् के द्वारा तीनो विषयों के (शिक्षा, राजनीति विज्ञान, विधि एवं वाणिज्य) अध्ययन मंडलों के कार्यवाही-विवरण का अनुमोदन किया गया।


प्रस्ताव क्र. 02 विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित पद "ग्रंथपाल (महाविद्यालयीन ग्रंथपाल के स्तर का)" में नियमित नियुक्ति हेतु प्रस्तावित चयन समिति में मान० कुलाधिपति के द्वारा मनोनयन हेतु तीन विषय-विशेषज्ञों के नाम प्रेषित किये जाने पर विचार।

निर्णय - विद्या परिषद् के द्वारा माननीय कुलपति सह अध्यक्ष, विद्या परिषद् को विषय-विशेषज्ञों के नामों के चयन एवम् उसे मान० कुलाधिपति जी को प्रेषित करने के लिए अधिकृत किया गया।


प्रस्ताव क्र.03 विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व विज्ञापित पद सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी, शिक्षा एवं वाणिज्य विषय) में नियमित नियुक्ति नहीं होने पर पुनः विज्ञापित किये जाने एवं प्रस्तावित चयन समिति में माननीय कुलाधिपति के द्वारा मनोनयन हेतु तीन विषय-विशेषज्ञों के नाम प्रेषित किये जाने पर विचार।

निर्णय - विद्या परिषद् के द्वारा माननीय कुलपति सह अध्यक्ष, विद्या परिषद् को विषय-विशेषज्ञों के नामों के चयन एवम् उसे मान० कुलाधिपति जी को प्रेषित करने के लिए अधिकृत किया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त की गई।


(राज कुमार सचदेव)
कुलसचिव/सचिव

पृ. क्रं. 2071/का.प./बैठक/19,
प्रतिलिपि -


(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष
बिलासपुर, दिनांक 07/02/2019

1. माननीया राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. निज सचिव, कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. सम्मानीय सदस्यगण –
- 3.1 डॉ. बी.एल. गोयल, क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
- 3.2 डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, PSSOU
- 3.3 डॉ. (श्रीमती) प्रकृति जेम्स, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU
- 3.4 डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, PSSOU
- 3.5 डॉ. प्रीति रानी मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, PSSOU
- 3.6 प्रो. तीर्थेश्वर सिंह, आचार्य एवं अध्यक्ष, अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक, जिला अनूपुर (म.प्र)
- 3.7 डॉ. बी.एन. तिवारी, आचार्य, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- 3.8 डॉ. संजय तिवारी, आचार्य, इलेक्ट्रानिकी अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- 3.9 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)
- 3.10 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी-3, नया रायपुर (छ.ग.)
- 3.11 डॉ. व्ही.व्ही. रेड्डी, कुलसचिव (SED), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
- ✓ 4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
5. नस्ती हेतु।

R. D. Ch
कुलसचिव
र



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 156 / अका. / वि.प. / बैठक / 19,

बिलासपुर, दिनांक 05 / 12 / 2019

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 30 वीं आपात बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 05/12/2019, दिन गुरुवार पूर्वान्ह 11:00 बजे विश्वविद्यालय के 'सिरपुर प्रशासनिक भवन' के कुलपति कक्ष में आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :-

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह — अध्यक्ष
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. डॉ. बी.एल. गोयल — सदस्य
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
3. प्रो. बी. एन. तिवारी, — सदस्य
आचार्य,
जैव प्रौद्योगिकी विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
4. श्री संजीव कुमार लवानिया — सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, समाजशास्त्र
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
5. डॉ. एस. रूपेन्द्र राव — सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोविज्ञान विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

5/12/19

- | | | | |
|----|---|---|-------|
| 6. | श्री रेशमलाल प्रधान
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल कम्प्यूटर साइंस
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 7. | डॉ. इंदु अनंत
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सचिव |

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

- | | | | |
|----|--|---|-------|
| 1. | आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.) | - | सदस्य |
| 2. | प्रो. संजय तिवारी,
आचार्य, इलेक्ट्रानिकी विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित) | - | सदस्य |
| 3. | संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
रायपुर (छ.ग.) | - | सदस्य |
| 4. | डॉ. व्ही.व्ही. रेड्डी
कुलसचिव (SED),
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
(कुलपति इग्नू द्वारा नामांकित) | - | सदस्य |
| 5. | प्रो. तीर्थेश्वर सिंह
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित) | - | सदस्य |

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रख कर निर्णय लिया गया-

प्रस्ताव क्र. 01 विश्वविद्यालय विषयों के अध्ययन मंडलों की कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय - विद्या परिषद् के द्वारा प्रस्ताव में रखे गए समस्त विषयों के अध्ययन मंडलों के कार्यवाही-विवरण का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02 विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह के आयोजन, तिथि निर्धारण तथा अतिथियों के आमंत्रण पर विचार।


निर्णय - विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह दिनांक 21.01.2020 में दीक्षांत भाषण तथा मुख्य अतिथि के आमंत्रण हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रस्तावित पद्मभूषण माननीय श्री चंडी प्रसाद भट्ट के नाम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।


अध्यक्ष महोदय के अनुमति से रखे गये अन्य विषय।

प्रस्ताव क्र. 03 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग नई दिल्ली से 'ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट' संबंधी प्राप्त पत्र पर विचार।

निर्णय - प्राप्त पत्र पर विचार कर अंगीकृत किया गया तथा सर्वसम्मति से इसी सत्र (जनवरी से दिसंबर 2020) में इसे लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। अध्ययन मण्डलों की संयुक्त बैठक में संलग्न सूची का अवलोकन कर जो पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये उपयुक्त हैं, अध्ययन मण्डल उसकी अनुशंसा करेंगे जिसे अनुमोदित करने के लिये अध्यक्ष, विद्या परिषद् अधिकृत होंगे तथा कार्य परिषद् की आगामी बैठक में इसका अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त की गई।


(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष


(ज. डी. अनंत)
कुलसचिव/सचिव


पृ. क्रं. 157 / अका./ वि.प./ बैठक/ 19,

बिलासपुर, दिनांक 05/12/2019

प्रतिलिपि -

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सम्मानीय सदस्यगण -
 - 2.1 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी-3, नया रायपुर (छ.ग.)
 - 2.2 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)

- 2.3 डॉ. व्ही.व्ही. रेड्डी, कुलसचिव (SED), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
- 2.4 डॉ. बी.एन. तिवारी, आचार्य, बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- 2.5 डॉ. संजय तिवारी, आचार्य, इलेक्ट्रॉनिकी अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- 2.6 प्रो. तीर्थेश्वर सिंह, आचार्य एवं अध्यक्ष, अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक, जिला अनूपपुर (म.प्र)
- 2.7 डॉ. बी.एल. गोयल, क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
- 2.8 श्री संजीव कुमार लवानिया, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, PSSOU
- 2.9 डॉ. एस.रूपेन्द्र राव, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, PSSOU
- 2.10 श्री रेशमलाल प्रधान, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साइंस, PSSOU की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
4. नस्ती हेतु।


कुलसचिव



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क 113 / अका./ वि.प./ बैठक/ 2020.

बिलासपुर. दिनांक 27/06/2019

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलारापुर के विद्या परिषद् की 31 वीं आपात बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 25/06/2020, दिन गुरुवार पूर्वाह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय के 'सिरपुर प्रशासनिक भवन' के कुलपति कक्ष में आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :-

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर - अध्यक्ष
2. डॉ. बी.एल. गोयल
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर - सदस्य
3. प्रो. मनीष श्रीवास्तव,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित) - सदस्य
4. प्रो. मीता झा, (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति)
पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित) - सदस्य
5. डॉ. अनिता सिंह,
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, शिक्षा विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर - सदस्य
6. श्री संजीव कुमार लवानिया
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, समाजशास्त्र
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर - सदस्य
7. डॉ. एस. रूपेन्द्र राव
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोविज्ञान विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर - सदस्य

11/7/19

1

- | | | | |
|----|---|---|-------|
| 8. | श्री रेशमलाल प्रधान
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल कम्प्यूटर साइंस
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 9. | डॉ. इंदु अनंत
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सचिव |

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

- | | | | |
|----|--|---|-------|
| 1. | आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.) | - | सदस्य |
| 2. | प्रो. एल.पी. पटैरिया,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित) | - | सदस्य |
| 3. | संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
रायपुर (छ.ग.) | - | सदस्य |
| 4. | डॉ. व्ही.व्ही. रेड्डी
कुलसचिव (SED),
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
(कुलपति इग्नू द्वारा नामांकित) | - | सदस्य |

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रख कर निर्णय लिया गया-

प्रस्ताव क्र. 01- विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 30 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।
निर्णय - कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02- समतुल्य पाठ्यक्रमों में Lateral entry प्रावधान संबंधी नियम का अनुमोदन पर विचार।
निर्णय - निम्न संशोधन के पश्चात् प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

1. इसे अध्यादेश में सम्मिलित किया जाए।
2. ड्राफ्ट के बिन्दु क्रमांक 7 में संशोधन के साथ 'Equivalence Committee' की अनुशंसा पर 'Comptant Authority' जारी करेंगी लिखा जाए।
3. ड्राफ्ट में बिन्दु क्रमांक 9 को विलोपित किया जाए।

प्रस्ताव क्र. 03- कोविड-19 के संदर्भ में अध्यादेश क्रमांक 1 के भाग C-1:10A संशोधन के अनुरूप अंक योजना में प्रस्तावित परिवर्तन पर विचार।

निर्णय - अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 04- विभिन्न विषयों के अध्ययन मण्डलों के कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय - दिनांक 06/03/2020 को आयोजित अध्ययन मंडल की संयुक्त बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 02 के लिए यू.जी.सी. से पत्र लिखकर अनुमति लिया जाए। इसी प्रकार दिनांक 06/03/2020 को आयोजित विधि विभाग के अध्ययन मंडल की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 3 LLM पाठ्यक्रम को पुनः प्रारम्भ करने हेतु की गई अनुशंसा पर विचार कर निर्णय किया गया कि अभी कार्यवाही को स्थगित रखा जाए।

प्रस्ताव क्र. 05- डॉ. गौरी शर्मा के लघु शोध प्रबंध की मूल्यांकन रिपोर्ट सूचनार्थ।

निर्णय - सूचना ग्रहण की गई तथा मान्य किया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमिनार/शोधकार्य अनुदान नियम 2016 के विन्दु क्रमांक 5 में उल्लेखित "विश्वविद्यालय में आयोजित ऐसे कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमिनार/शोधकार्य इत्यादि के प्रतिवेदन विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् में रखे जायेंगे" के स्थान पर "विश्वविद्यालय में आयोजित ऐसे कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमिनार/शोधकार्य इत्यादि के प्रतिवेदन को अनुमोदन के लिए माननीय कुलपति जी को प्रस्तुत किया जाएगा एवं विद्यापरिषद् की बैठक होने पर इसकी सूचना वहां भी दी जायेगी।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त की गई।

(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

(डॉ. इंदु अनंत)
कुलसचिव/सचिव

पृ. क्र. 114 / अका. / वि.प. / बैठक / 2020,

बिलासपुर, दिनांक 27/06/2020

प्रतिलिपि -

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सम्मानीय सदस्यगण -
- ✓ 2.1 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी-3, नया रायपुर (छ.ग.)
- 2.2 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)

- 2.3 डॉ. व्ही.व्ही. रेडडी, कुलसचिव (SED), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
- 2.4 प्रो. एल.पी.पटेरिया, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- 2.5 प्रो. मनीष श्रीवास्तव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- 2.6 प्रो. मीता झा, मनोविज्ञान विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- 2.7 डॉ. वी.एल. गोयल, क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
- 2.8 डॉ. अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU
- 2.8 श्री संजीव लावनिया, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, PSSOU
- 2.9 डॉ. एस.रूपेन्द्र राव, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, PSSOU
- 2.10 श्री रेशमलाल प्रधान, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साइंस, PSSOU की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।
4. प्रभारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
5. नस्ती हेतु।


कुलसचिव



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. ४४A/अका./वि.प./बैठक/20,

बिलासपुर, दिनांक 06 /08/2020

//अधिसूचना//

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद की 32 वीं आपात बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 06/08/2020, दिन गुरुवार अपरान्ह 12:00 बजे विडियो कन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :-

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर (छ.ग) — अध्यक्ष
2. डॉ. राजलक्ष्मी सेलेट
आयुक्त के नामिनी
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.) — सदस्य
3. डॉ.एल.पी.पटैरिया,
आचार्य, प्रबंधन विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग) — सदस्य
4. डॉ.मनीष श्रीवास्तव,
आचार्य, अग्रंजी विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग) — सदस्य
5. डॉ.मीता झा,
आचार्य एवं अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग,
पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर — सदस्य
6. डॉ. बी.एल. गोयल
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर — सदस्य
7. डॉ. अनिता सिंह
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, शिक्षा
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, — सदस्य

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

- | | | | |
|-----|---|---|-------|
| 8. | श्री संजीव कुमार लवानिया
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, समाजशास्त्र
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 9. | डॉ. एस. रूपेन्द्र राव
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोविज्ञान विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 10. | श्री रेशमलाल प्रधान
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल कम्प्यूटर साइंस
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 12. | डॉ. इंदु अनंत
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सचिव |

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके

- | | | | |
|----|---|---|-------|
| 1. | संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
रायपुर (छ.ग.) | - | सदस्य |
|----|---|---|-------|

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् कुलसचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रखकर निर्णय लिया गया-

प्रस्ताव क्र. 01: सत्रांत परीक्षा 2019 20 के परिणाम घोषित करने के विषय में विचार निर्णय : सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि :-


- 1 स्नातक भाग 1 में सत्रीय कार्य हुए विषयो में प्राप्तांक के औसत के आधार पर आधार-पाठयक्रम हिन्दी/अग्रेजी में अंक दिया जाकर परिणाम घोषित किया जाए।


(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

- 2 स्नातक भाग 1 हेतु इस वर्ष का परिणाम 750 की जगह पर 700 पूर्णांक करते हुए परिणाम घोषित किया जाए तथा पर्यावरण अध्ययन को आगे के 2 वर्षों में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करने का अवसर दिया जाए।
- 3 स्नातक भाग 2 में राज्य शासन के दिशानिर्देशों के परिपालन में सत्रीय कार्य हुए विषयों में प्राप्तांक के औसत को 50% अधिभार तथा स्नातक भाग 1 में आधार पाठ्यक्रम हिन्दी और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों को 50% अधिभार देते हुए अंक प्रदान किया जाकर परिणाम घोषित किया जाए।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त की गई।



(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष


(डॉ. इंदु अनंत)
कुलसचिव/सचिव

पृ. क्रं. 89A/अका./वि.प./बैठक/20,
प्रतिलिपि -

बिलासपुर, दिनांक 06 /08/2020

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सम्मानीय सदस्यगण -
- 2.1 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी-3, नया रायपुर (छ.ग.)
- 2.2 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)
- 2.3 डॉ.एल.पी.पटैरिया, आचार्य, प्रबंधन विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)
- 2.4 डॉ.मनीष श्रीवास्तव, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- 2.5 डॉ.मीता झा, आचार्य एवं अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 2.6 डॉ. बी.एल. गोयल, क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
- 2.7 डॉ.अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU
- 2.8 श्री संजीव लावनिया, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, PSSOU
- 2.9 डॉ. एस.रूपेन्द्र राव, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, PSSOU
- 2.10 श्री रेशमलाल प्रधान, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साइंस, PSSOU
3. प्रभारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
- 4 नस्ती हेतु।


कुलसचिव



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 110 / अका./ वि.प./ बैठक / 2020,

बिलासपुर, दिनांक 10 / 09 / 2020

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 33 वीं आपात बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 09/09/2020, दिन बुधवार अपरान्ह 03:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय 'सिरपुर प्रशासनिक भवन' में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :-

- | | | | |
|----|--|---|---------|
| 1. | डॉ. बंश गोपाल सिंह
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर | - | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. राजलक्ष्मी सेलट(विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति)
आयुक्त के नामिनी
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.) | - | सदस्य |
| 3. | प्रो. एल.पी. पटैरिया, (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति)
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित) | - | सदस्य |
| 4. | प्रो. मनीष श्रीवास्तव, (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति)
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित) | - | सदस्य |
| 5. | प्रो. मीता झा, (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति)
पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित) | - | सदस्य |
| 6. | डॉ. बी.एल. गोयल (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति)
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 7. | डॉ. अनिता सिंह,
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, शिक्षा विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 8. | श्री संजीव कुमार लवानिया
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, समाजशास्त्र
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |

- | | | | |
|----|--|---|-------|
| 7. | डॉ. एस. रूपेन्द्र राव
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोविज्ञान विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 8. | श्री रेशमलाल प्रधान
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल कम्प्यूटर साइंस
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 9. | डॉ. इंदु अनंत
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सचिव |

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

- | | | | |
|----|--|---|-------|
| 1. | संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
रायपुर (छ.ग.) | - | सदस्य |
| 2. | प्रो. आर.पी. दास
सम कुलपति
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
(कुलपति इग्नू द्वारा नामांकित) | - | सदस्य |

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रख कर निर्णय लिया गया-

प्रस्ताव क्र. 01- बी.एड./ डी.एल.एड. प्रवेश संबंधी मानक पर शिक्षा अध्ययन मंडल द्वारा दिये गये सुझाव पर अनुमोदन पर विचार।

निर्णय - अध्ययन मंडल शिक्षा के निर्णय को संशोधन के पश्चात् अनुमोदन किया गया। संशोधन निम्नानुसार है।


डी.एल.एड. प्रवेश संबंधी निर्णय :-


- 1 डी.एल.एड. के प्रवेश में न्यूनतम अर्हता NCTE के मानक अनुसार निर्धारित होगी। जिसके आधार पर प्रावीण्य सूची का निर्माण किया जाएगा।
- 2 डी.एल.एड. प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की स्थिति में उनके 10वीं के अंक को प्रावीण्य सूची का आधार बनाया जाएगा।
- 3 10वीं में भी समान अंक होने पर जिसका शिक्षण अनुभव अधिक है उसे मान्य किया जाएगा।

बी.एड. प्रवेश संबंधी निर्णय :-

1. बी.एड. में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता NCTE के मानक अनुसार निर्धारित होगी। जिन विद्यार्थियों का स्नातक में न्यूनतम अर्हता (एन.सी.टी.ई. के नियमानुसार) पूर्ण नहीं होती है, उनका स्नातकोत्तर के अंक (एन.सी.टी.ई.के नियमानुसार) प्रावीण्य सूची का आधार होंगे।
2. समान अंक होने की स्थिति में उनके 12वीं के अंक को देखा जायेगा।
3. 12वीं में भी समान अंक होने पर 10वीं कक्षा के अंक को मान्य किया जाएगा।
4. 10वीं कक्षा में समान अंक होने पर उनके शिक्षण अनुभव को मान्य किया जाएगा।
5. शिक्षण अनुभव में समानता होने की स्थिति में अधिक उम्र को मान्य किया जाएगा।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त की गई।


(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष


(डॉ. इ. अनंत)
कुलसचिव/सचिव

पृ. क्रं. ||| /अका./वि.प./बैठक/2020,

बिलासपुर, दिनांक 10 /09/2020

प्रतिलिपि -

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सम्मानीय सदस्यगण -
 - 2.1 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी-3, नया रायपुर (छ.ग.)
 - 2.2 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)
 - 2.3 प्रो आर.पी. दास, सम कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
 - 2.4 प्रो. एल.पी.पटेरिया, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
 - 2.5 प्रो. मनीष श्रीवास्तव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
 - 2.6 प्रो. मीता झा, मनोविज्ञान विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
 - 2.7 डॉ. बी.एल. गोयल, क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
 - 2.8 डॉ. अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU
 - 2.8 श्री संजीव लावनिया, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, PSSOU
 - 2.9 डॉ. एस.रूपेन्द्र राव, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, PSSOU
 - 2.10 श्री रेशमलाल प्रधान, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साइंस, PSSOU की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।

4. प्रभारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
5. नस्ती हेतु।


कुलसचिव



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 191 / अका. / वि.प. / बैठक / 2021,

बिलासपुर, दिनांक 30 / 01 / 2021

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 34 वीं आपात बैठक माननीय कुलपति महोदय जी की अध्यक्षता में दिनांक 30/01/2021, दिन शनिवार अपरान्ह 03:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय 'सिरपुर प्रशासनिक भवन' में प्रत्यक्ष उपस्थिति / विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।
बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :-

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर - अध्यक्ष
2. प्रो. एल.पी. पटैरिया,
माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट) - सदस्य
3. प्रो. आर.पी. दास (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति)
सम कुलपति
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
(कुलपति इग्नू द्वारा नामांकित) - सदस्य
4. डॉ. राजलक्ष्मी सेलट(विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति)
आयुक्त के नामिनी
उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर (छ.ग.) - सदस्य
5. प्रो. मनीष श्रीवास्तव, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति)
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित) - सदस्य
6. प्रो. मीता झा, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति)
पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित) - सदस्य
7. डॉ. बी.एल. गोयल
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर - सदस्य

- | | | | |
|-----|---|---|-------|
| 8. | डॉ. अनिता सिंह,
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, शिक्षा विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 9. | श्री संजीव कुमार लवानिया
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, समाजशास्त्र
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 10. | डॉ. एस. रूपेन्द्र राव
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोविज्ञान विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 11. | श्री रेशमलाल प्रधान
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल कम्प्यूटर साइंस
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 12. | डॉ. इंदु अनंत
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सचिव |

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

- | | | | |
|----|---|---|-------|
| 1. | संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
रायपुर (छ.ग.) | - | सदस्य |
|----|---|---|-------|

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रख कर निर्णय लिया गया -

प्रस्ताव क्र. 01- विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 31 वीं, 32 वीं, 33 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय - अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02- विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह के आयोजन, तिथि निर्धारण तथा अतिथियों के आमंत्रण पर विचार।

निर्णय - पंचम दीक्षांत समारोह के तिथि निर्धारण हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु ऑन-लाईन एवं ऑफ-लाईन दोनों ही विकल्प रखते हुए तदनुसार अध्यादेश में परिवर्तन किया जाए। अतिथियों के आमंत्रण हेतु मुख्य वक्ता के रूप में निम्नानुसार नाम प्रस्तावित किया गया-

1. डॉ. चरणदास महंत, विधानसभा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा।
2. स्वामी निखिलेश्वरानंद, प्रमुख, रामकृष्ण मिशन वड़ोदरा गुजरात।

B&L

3. डॉ. नागेश्वर राव, कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय।
 4. सोनम वांगचुक, शिक्षा सुधारक।
 5. डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव, वैज्ञानिक इसरो।
 6. श्री राजेन्द्र सिंह, प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता।
- सदस्यों द्वारा उपरोक्त नामों की अनुशंसा की गई।

प्रस्ताव क्र. 03— बी.एड. प्रथम वर्ष के चार प्रश्नपत्रों के SLM के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय — बी.एड. प्रथम वर्ष के चार प्रश्नपत्रों की स्वअध्ययन सामग्री का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 04— विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न विषयों के प्रोग्राम कोड एवं कोर्स कोड निर्धारण पर विचार।

निर्णय — विभिन्न विषयों के प्रोग्राम कोड एवं कोर्स कोड में / के स्थान पर — रखा जाए संशोधन के साथ प्रस्ताव मान्य किया गया।

प्रस्ताव क्र. 05— विश्वविद्यालय विषयों के अध्ययन मण्डलों की कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय — शिक्षा, हिन्दी, वनस्पति शास्त्र, समाजशास्त्र, समाजकार्य, रसायन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, गणित एवं वाणिज्य विषयों के अध्ययन मण्डलों की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त की गई।

(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

(डॉ. इंदु क्षनंत)
कुलसचिव/सचिव


पृ. क्रं. 192/अका./वि.प./बैठक/2021,

बिलासपुर, दिनांक 30/01/2021

प्रतिलिपि —

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सम्मानीय सदस्यगण —
- 2.1 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी-3, नया रायपुर (छ.ग.)
- 2.2 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)

- 2.3 प्रो आर.पी. दास, सम कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
- 2.4 प्रो. एल.पी.पट्टेरिया, माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
- 2.5 प्रो. मनीष श्रीवास्तव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- 2.6 प्रो. मीता झा, मनोविज्ञान विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- 2.7 डॉ. बी.एल. गोयल, क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
- 2.8 डॉ. अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU
- 2.8 श्री संजीव लावनिया, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, PSSOU
- 2.9 डॉ. एस.रूपेन्द्र राव, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, PSSOU
- 2.10 श्री रेशमलाल प्रधान, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साइंस, PSSOU की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।
4. प्रभारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
5. नस्ती हेतु।


कुलसचिव



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 284 / अका. / वि.प. / बैठक / 2021,

बिलासपुर, दिनांक 28 / 06 / 2021

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 35 वीं आपात बैठक माननीय कुलपति महोदय जी की अध्यक्षता में दिनांक 26/06/2021, दिन शनिवार अपराह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय 'सिरपुर प्रशासनिक भवन' में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।
बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :-

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह - अध्यक्ष
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. प्रो. एल.पी. पटैरिया, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) - सदस्य
माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट)
3. प्रो. आर.पी. दास - सदस्य
सम कुलपति
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
(कुलपति इग्नू द्वारा नामांकित)
4. डॉ. राजलक्ष्मी सेलट(विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) - सदस्य
आयुक्त के नामिनी
उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर (छ.ग.)
5. प्रो. मनीष श्रीवास्तव, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) - सदस्य
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
6. प्रो. मीता झा, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) - सदस्य
पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
7. डॉ. अनिता सिंह, - सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, शिक्षा विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
8. श्री संजीव कुमार लवानिया (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) - सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, समाजशास्त्र
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(Handwritten signature)

8

- | | | | |
|-----|--|---|-------|
| 9. | डॉ. एस. रूपेन्द्र राव (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति)
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोविज्ञान विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 10. | श्री रेशमलाल प्रधान (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति)
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल कम्प्यूटर साइंस
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 11. | डॉ. इंदु अनंत
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सचिव |

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

- | | | | |
|----|---|---|-------|
| 1. | संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
रायपुर (छ.ग.) | - | सदस्य |
|----|---|---|-------|

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रख कर निर्णय लिया गया -

प्रस्ताव क्र. 01- विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 34 वीं बैठक का विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय - अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02- विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 1 में संशोधन भाग G: शिक्षक/गैर शिक्षक अधिकारियों की योग्यता को जोड़ने हेतु सुझाव पर विचार।

निर्णय - शिक्षकीय पदों हेतु मैनेजमेन्ट जोड़ा जाए के साथ मान्य किया गया। योग्यता का विस्तृत वर्णन न करके "Eligibility will be as per UGC Regulation enforced from time to time" लिखा जाए और शैक्षणिक पदों हेतु पृथक से समिति बना कर विचार किया जाए। कार्यपरिषद् में रखा जाय।

प्रस्ताव क्र. 03- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) सीधी भर्ती/पदोन्नति/समयमान नियम, 2021 संबंधी।

निर्णय - गैर शैक्षणिक पदों हेतु यह सुझाव दिया गया कि अलग से नियम बना कर कार्यपरिषद् में रखा जाए। रिजनल डायरेक्टर, असिस्टेन्ट लायब्रेरियन, निज सचिव कुलपति, के लिये कमेटी बना दें। अनुशंसा कार्यपरिषद् में ली जाये। शिक्षकीय पदों पर सीधी भर्ती/पदोन्नती नियम 2021 को संशोधन के साथ संस्तुत किया गया।

प्रस्ताव क्र.04- SWAYAM द्वारा संचालित MOOC कोर्स को विश्वविद्यालय के Credit Framework के अनुरूप सम्मिलित करने विषयक।

निर्णय - "वर्तमान शिक्षण सत्र मे" की जगह पर "आगामी शिक्षण सत्रों" से किया जाए।

Handwritten signature/initials

8

प्रस्ताव क्र. 05- बी.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस के प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रमों की अनुशंसा तथा पाठ्यपुस्तक सामग्री का अनुमोदन पर विचार।
निर्णय - अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्र.06- सहायक प्राध्यापको के लघु-शोध प्रबंध (Minor Research Project) की मूल्यांकन रिपोर्ट सूचनार्थ।
निर्णय - सूचना ग्रहण किया गया।


प्रस्ताव क्र. 07- विश्वविद्यालय विषयों के अध्ययन मण्डलों की कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।
निर्णय - अनुमोदन किया गया।


प्रस्ताव क्र.08- विश्वविद्यालय में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन संबंधित।
निर्णय - ऐसे सभी पाठ्यक्रम जिनका AICTE द्वारा Approval लेना है उन पाठ्यक्रमों हेतु AICTE की अनुमति की प्रतीक्षा की जाए एवं ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें AICTE की अनुमति की आवश्यकता न हो उन्हें यथावत संचालित किया जाए तथा UGC को पत्र लिखा जाए।

बैठक के अंत में विद्या परिषद् को सूचीत किया गया की दीक्षांत समारोह में प्रो. नागेश्वर राव (कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली) को मुख्य वक्ता के रूप में दी गई सहमति की सूचना ग्रहण की गई। दीक्षांत समारोह के लिए प्रयास जारी है।

डॉ. चरण दास महंत जी द्वारा स्वी. श्री बिसाहू दास महंत जी के नाम से सर्वोच्च ग्रेड प्राप्त दिव्यांग छात्र/छात्रा को स्वर्ण पदक के लिए रु. 1 लाख राशि प्रदान की गई है, जो विश्वविद्यालय को प्राप्त होने की सूचना ग्रहण की गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।


(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष


(इंदु अनंत)
कुलसचिव/सचिव

पृ. क्रं. 285/अका./वि.प./बैठक/2021,

बिलासपुर, दिनांक 28/06/2021

प्रतिलिपि -

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सम्मानीय सदस्यगण -
- 2.1 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी-3, नया रायपुर (छ.ग.)
- 2.2 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)

- 2.3 प्रो आर.पी. दास, सम कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
- 2.4 प्रो. एल.पी.पटेरिया, माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
- 2.5 प्रो. मनीष श्रीवास्तव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- 2.6 प्रो. मीता झा, मनोविज्ञान विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- 2.7 क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
- 2.8 डॉ. अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU
- 2.8 श्री संजीव लावनिया, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, PSSOU
- 2.9 डॉ. एस.रूपेन्द्र राव, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, PSSOU
- 2.10 श्री रेशमलाल प्रधान, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साइंस, PSSOU की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।
4. प्रभारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
5. नस्ती हेतु।


कुलसचिव



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 341 / अका. / वि.प. / बैठक / 2021,

बिलासपुर, दिनांक 12/11/2021

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 36 वीं नियमित बैठक माननीय कुलपति महोदय जी की अध्यक्षता में दिनांक 12/11/2021, दिन शुक्रवार अपरान्ह 03:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय 'सिरपुर प्रशासनिक भवन' में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।
बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :-

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह — अध्यक्ष
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. प्रो. एल.पी. पटैरिया, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) — सदस्य
माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट)
3. प्रो. आर.पी. दास (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) — सदस्य
सम कुलपति
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
(कुलपति इग्नू द्वारा नामांकित)
4. डॉ. राजलक्ष्मी सेलट(विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) — सदस्य
आयुक्त के नामिनी
उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर (छ.ग.)
5. प्रो. मनीष श्रीवास्तव, — सदस्य
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
6. प्रो. मीता झा, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) — सदस्य
पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
7. डॉ. अनिता सिंह, — सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, शिक्षा विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
8. श्री संजीव कुमार लवानिया — सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, समाजशास्त्र
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

09/11

Dr. Anupama
12/11/21

- | | | | |
|-----|---|---|-------|
| 9. | डॉ. एस. रूपेन्द्र राव
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोविज्ञान विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | — | सदस्य |
| 10. | श्री रेशमलाल प्रधान
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल कम्प्यूटर साइंस
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | — | सदस्य |
| 11. | प्रो. शोभित वाजपेयी
प्रभारी कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | — | सचिव |

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके —

- | | | | |
|----|---|---|-------|
| 1. | संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
रायपुर (छ.ग.) | — | सदस्य |
|----|---|---|-------|

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रख कर निर्णय लिया गया —

प्रस्ताव क्र. 01—विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 35 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवं पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय — अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02— PBAS (Performance Based Appraisal System) प्रारूप के अनुमोदन पर विचार।
निर्णय — IGNOU एवं अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों के प्रोफार्मा का अवलोकन करने के पश्चात आगामी बैठक में रखा जाय।

प्रस्ताव क्र. 03— विश्वविद्यालय विषयों के अध्ययन मण्डलों की कार्यवाही—विवरण के अनुमोदन पर विचार।
निर्णय — अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र.04— विश्वविद्यालय के विभिन्न Policy Document के अनुमोदन पर विचार।
निर्णय — Mission and Vision, Strategic plan Methodology & Machanism, E-Governance Policy , ERP (Enterprise Resource Planing Integration) , Fund & Resource Mobilization policy का अनुमोदन किया गया।

—पूरक प्रस्ताव—

प्रस्ताव क्र.05— परीक्षा परिणाम समिति Result Committee गठन का प्रस्ताव।

निर्णय — C-1(9)(A) के कंडिका 2 के भाग दो में One Chairman Board of Studies के स्थान पर One Chairman Board of Studies to be nominated by the Kulpati किया जाय।

Handwritten signature

Handwritten signature
12/11/21

प्रस्ताव क्र.06— पी-एच.डी. 2021 हेतु निर्मित प्रवेश एवं सूचना विवरणिका के प्रारूप के अनुमोदन एवं अधिसूचना जारी करने पर विचार।

निर्णय — अनुमोदन किया गया।

—अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय—


प्रस्ताव क्रमांक 01 — शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु प्रस्तावित चयन समिति में माननीय कुलाधिपति के द्वारा मनोनयन हेतु पदवार/विषयवार तीन-तीन विषय-विशेषज्ञों के नाम प्रेषित किये जाने पर विचार।


निर्णय — शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु प्रस्तावित चयन समिति में माननीय कुलाधिपति के द्वारा मनोनयन हेतु पदवार/विषयवार तीन-तीन विषय-विशेषज्ञों के नाम प्रेषित किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव क्र.02— विश्वविद्यालय हेतु तैयार विभिन्न Policy Document एवं Code of Conduct के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय — Policy Document of Green Campus Initiative for the University , Day Care Center for Academic and Non-Academic Staffs Including Research Scholar/Staffs and Learners , Common Room for Female Staff and Learners , Friendly and Barrier Free Environment for the Learners including Differently – Abled Persons, Learners Code of Ethics and conduct , Code of Professional Ethics (as Per UGC Regulations, July-2018) का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।


(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष


(प्रो. शोभित वाजपेयी)
कुलसचिव/सचिव(प्रभारी)

पृ. क्रं. 342/अका./वि.प./बैठक/2021,

बिलासपुर, दिनांक 12/11/2021

प्रतिलिपि —

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सम्मानीय सदस्यगण —
- 2.1 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी-3, नया रायपुर (छ.ग.)

- 2.2 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)
- 2.3 प्रो आर.पी. दास, सम कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
- 2.4 प्रो. एल.पी.पटेरिया, माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
- 2.5 प्रो. मनीष श्रीवास्तव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- 2.6 प्रो. मीता झा, मनोविज्ञान विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- 2.7 क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
- 2.8 डॉ. अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU
- 2.8 श्री संजीव लावनिया, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, PSSOU
- 2.9 डॉ. एस.रूपेन्द्र राव, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, PSSOU
- 2.10 श्री रेशमलाल प्रधान, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साइंस, PSSOU की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।
4. प्रभारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।
5. नस्ती हेतु।

प्रो. एल.पी.पटेरिया
12/11/21
कुलसचिव



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 362/अका./वि.प./बैठक/2022,

बिलासपुर, दिनांक 24/01/2022

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्यापरिषद् की 37 वीं एजेण्डा बाई सर्कुलेशन हेतु विश्वविद्यालय के विनियम क्रमांक 02 के बिन्दु 08 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक 360/अका./वि.प./बैठक/2022 दिनांक 13/01/2022 तथा एजेण्डा बाई सर्कुलेशन के माध्यम से 01 प्रस्ताव विद्यापरिषद् के सदस्यों के समक्ष विचारार्थ हेतु ई-मेल/व्हाट्सएप पर भेजा गया था। अधिसूचना के अनुसार 22/01/2022 तक सदस्यों से निम्नानुसार पत्र प्राप्त हुआ है :-

क्र.	सम्माननीय सदस्यगण जिनसे पत्र/ई-मेल/व्हाट्सएप प्राप्त हुआ	पद	टिप्पणी
01	डॉ. बंश गोपाल सिंह कुलपति पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़	अध्यक्ष	प्रारूप अनुमोदित
02	प्रो. एल.पी. पटैरिया, माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट)	सदस्य	प्रारूप अनुमोदित
03	डॉ. राजलक्ष्मी सेलट आयुक्त के नामिनी उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर (छ.ग.)	सदस्य	प्रारूप अनुमोदित
04	प्रो. मनीष श्रीवास्तव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)	सदस्य	Draft Signed
05	प्रो. मीता झा पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)	सदस्य	Section B.2 के बिन्दु (g) के अंतर्गत लिखित नोट "Impact factor to be determined as per Thomson Routers List" को विलोपित करने की अनुशंसा करते हुए प्रारूप अंगीकृत करने हेतु सहमति दी गई।
06	डॉ. अनिता सिंह अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, शिक्षा विभाग पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़	सदस्य	Section B.2 के बिन्दु (g) के अंतर्गत लिखित नोट "Impact factor to be determined as per Thomson Routers List" को विलोपित करने की अनुशंसा करते हुए प्रारूप अंगीकृत करने हेतु सहमति दी गई।
07	श्री संजीव कुमार लवानिया अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, समाजशास्त्र पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़	सदस्य	Section B.2 के बिन्दु (g) के अंतर्गत लिखित नोट "Impact factor to be determined as per Thomson Routers List" को विलोपित करने की अनुशंसा करते हुए प्रारूप अंगीकृत करने हेतु सहमति दी गई।

18/1/22

8

08	श्री रेशमलाल प्रधान अध्यक्ष, अध्ययन मंडल कम्प्यूटर साइंस पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़	सदस्य	Section B.2 के बिन्दु (g) के अंतर्गत लिखित नोट "Impact factor to be determined as per Thomson Routers List" को विलोपित करने की अनुशंसा करते हुए प्रारूप अंगीकृत करने हेतु सहमति दी गई।
09	डॉ. एस. रूपेन्द्र राव अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोविज्ञान विभाग पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़	सदस्य	Section B.2 के बिन्दु (g) के अंतर्गत लिखित नोट "Impact factor to be determined as per Thomson Routers List" को विलोपित करने की अनुशंसा करते हुए प्रारूप अंगीकृत करने हेतु सहमति दी गई।
	डॉ. इंदु अनंत कुलसचिव पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़		सचिव
क्र.	सम्माननीय सदस्यगण जिनसे पत्र पत्र/ई-मेल/व्हाट्सएप प्राप्त नहीं हुआ	पद	टिप्पणी
01	प्रो. आर.पी. दास सम कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली (कुलपति इग्नू द्वारा नामांकित)	सदस्य	पत्र अप्राप्त
02	संचालक छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)	सदस्य	पत्र अप्राप्त

इस प्रकार अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल 10 सदस्यों में से 08 सदस्यों ने प्रस्ताव पर मत व्यक्त किये हैं। शेष 02 सदस्यों से कोई लिखित पत्र/ई-मेल/व्हाट्सएप प्राप्त नहीं हुआ है। कोरम पूर्ण है।

प्रस्ताव क्र. 01— इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के PBAS (Performance Based Appraisal System) प्रारूप को संशोधन सहित अंगीकृत करने संबंधी।

निर्णय — सदस्यों के अभिमतों एवं बहुमतों के अनुसार Performance Based Appraisal System प्रारूप के Section B.2 के बिन्दु (g) के अंतर्गत लिखित नोट "Impact factor to be determined as per Thomson Routers List" को विलोपित करते हुए प्रारूप :-


1. Proforma for PBAS For Promotion of Teachers (Academic Level 10-12)
2. Annual Performance Appraisal Report Proforma for Promotion of Teachers (Academic Level 12-15)
3. PBAS For Promotion of Librarian को अनुमोदित किया गया।

(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

(इंदु अनंत)
कुलसचिव/सचिव

प्रतिलिपि -

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सम्मानीय सदस्यगण -
 - 2.1 प्रो. एल.पी.पटेरिया, माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
 - 2.2 प्रो. आर.पी. दास, सम कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
 - 2.3 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी-3, नया रायपुर (छ.ग.)
 - 2.4 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)
 - 2.5 प्रो. मनीष श्रीवास्तव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
 - 2.6 प्रो. मीता झा, मनोविज्ञान विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
 - 2.7 क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
 - 2.8 डॉ. अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU
 - 2.9 श्री संजीव लावनिया, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, PSSOU
 - 2.10 डॉ. एस.रूपेन्द्र राव, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, PSSOU
 - 2.11 श्री रेशमलाल प्रधान, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साइंस, PSSOU की ओर सूचनार्थ।
3. निज समन्वयक कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।
4. प्रभारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
5. नस्ती हेतु।


कुलसचिव -